छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

// अधिसूचना//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04/07/2022

क्रमांक एफ 7–13/2022/32 :: राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 75 (1), में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 25 (1), 27, 28, 29, 30, 33, 33–क, 36, 37, 77 एवं 79 के अंतर्गत संचालक नगर तथा ग्राम निवेश छत्तीसगढ़ में विहित शक्तियों को अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 के अनुसार प्रदेश के 09 जिलों के संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, कोरबा, एवं धमतरी के क्षेत्राधिकार में शामिल निम्नांकित नगर पालिक निगमों को उनके सीमाओं के अंतर्गत कतिपय शर्तों के साथ अधिनियम के अंतर्गत ऊपर उल्लेखित धाराओं में विहित अधिकार आगामी आदेश तक प्रत्यायोजित करता है :–

1	आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर।	2	आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिरगांव।
3	आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग।	4	आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई।
5	आयुक्त, नगर पालिक निगम, चरौदा।	6	आयुक्त, नगर पालिक निगम, रिसाली।
7	आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव।	8	आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़।
9	आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर।	10	आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर।
11	आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर।	12	आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा।
13	आयुक्त, नगर पालिक निगम, धमतरी।		

शर्तें –

1. अनुसूची–1 में प्रत्यायोजित धाराओं का उपयोग छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014 की अनुसूची–3 में उल्लेखित विहित शैक्षणिक अर्हता धारण करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी को ही प्रत्यायोजित अधिकार के अंतर्गत कार्य संपादन का दायित्व सौंपा जा सकेगा।
2. ले–आऊट अनुमोदन का कार्य तकनीकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने के साथ–साथ मास्टर प्लान के कियान्वयन का अनिवार्य अंग होगा। उक्त कार्य आउट सोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारियों से कराया जाना उचित नहीं होगा। इस हेतु संबंधित नगर पालिक निगम को टाउन प्लानर की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा।
3. विकास अनुज्ञा के अनुमोदन के 01 माह के भीतर समस्त ले–आउट संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किया जाना होगा।

1

4. नगर पालिक निगमों द्वारा उक्त धाराओं के अधीन स्वीकृत की जाने वाली विकास अनुज्ञाओं को संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के विभागीय वेबसाईड–www.tcp.cg.gov.in में लगातार अद्यतन करने के साथ–साथ स्वीकृत अनुज्ञाओं की एक प्रति संबंधित नगर तथा ग्राम निवेश के कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

5. स्वीकृत अनुज्ञाओं के भौतिक परीक्षण एवं पुनर्विलोकन का अधिकार संचालक नगर तथा ग्राम निवेश/संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक के अध्याधीन होगा।

6. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 25 (1), 27, 28, 29, 30, 33, 33(क), 36, 37 (1), (2) एवं (6) के अंतर्गत राजस्व/शुल्क/शास्ती राशि अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित मद में जमा कराया जाना होगा।

7. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2020 एवं विकास योजना के मापदण्डों के उल्लघंन या अतिक्रमण के लिए संबंधित नगर पालिक निगम जिम्मेदार है एवं इस कार्य के लिए नगर तथा ग्राम निवेश की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

4/7/2022
(सी.तिर्की)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04/07/2022

पृ. कमांक एफ 7–13/2022/32

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय,
3. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय,
4 समस्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन,
5. समस्त विभागाध्यक्ष,
6. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नवा रायपुर अटल नगर,
7. आयुक्त सह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
8. कलेक्टर, जिला रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/राजनांदगांव/रायगढ़/जलदलपुर/अंबिकापुर/कोरबा/धमतरी/
9. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर / बिलासपुर / दुर्ग / राजनांदगांव / रायगढ़ / कोरबा / जगदलपुर / धमतरी /अंबिकापुर,
10. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर / बिरगांव / दुर्ग / भिलाई / चरौदा / रिसाली / राजनांदगांव /रायगढ़ / बिलासपुर / जगदलपुर / अंबिकापुर / कोरबा /धमतरी,
11. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, आवास एवं पर्यावरण विभाग,
12. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, श्रम विभाग,
13. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

14. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, कृपया आगामी राजपत्र में प्रकाशन करें।

4/7/2022
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग